संख्या: 2612 /XVII(4)/2010/122/10

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई.सी.डी.एस.,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग **देहरादून दिनांकः 24 दिसम्बर, 2011**

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2011–12 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत राज्य मिशन प्राधिकरण एवं राज्य महिला संसाधन केन्द्र हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2141–42/म0सशक्ति0मि0–1867/2011–12 दिनांक 20–12–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड की आयोजनागत पक्ष की महिला सशक्तिकरण मिशन योजना में संलग्नक में दर्शायी गई बचत से पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या– 15 के लेखाशीर्षक 2235–02–102–01–0127–42 अन्य व्यय में संलग्नक विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 16,38,000/– (रू0 सोलह लाख अड़तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2. उक्त व्यय को करते समय मितव्ययता के विषय पर निर्गत आदेशो, बजट मैनुअल एवं समय–समय पर जारी तद्विषयक आदेशो का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– व्यय केवल उन्ही मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नही रहेगा। उक्त धनराशि का आहरण/व्यय नियमानुसार मासिक फेजिंग के आधार पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4– धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्यक प्राप्त कर ली जाय। व्यय की सूचना बी0एम0–13 पर वित्त विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

5– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या 15 (आयोजनेत्तर) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02 समाज कल्याण–102 बाल कल्याण–01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0127 महिला सशक्तिकरण मिशन (100 प्रतिशत के0स0) में संलग्नक विवरणानुसार अंकित सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग के कालम–4 की बचतों से वहन किया जायेगा।

3.. उक्त स्वीकृति वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के अशा0 संख्या 61(NP)/XXVII(3)/2011 दिनाँक 24-12-11 द्वारा प्रदत्त सहमति के क्रम में निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
अपर सचिव

संख्या: 2612 (1)/XVII(4)/2011 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–2 एवं 3, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई0सी0डी0एस0 उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)

अनु सचिव

आय व्ययक प्रपत्र–15

पुनर्विनियोग 2011-12

प्रशासकीय विभाग : महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

अनुदान संख्याः 15 आयोजनागत।

₹ हजार में।

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि हस्तान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 में कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–1 में कुल धनराशि	अभ्युक्ति क बचत का कारण	अभ्युक्ति ख अतिरिक्त आवश्यकता का औचित्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अनुदान संख्या– 15				अनुदान संख्या– 15				
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,				2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,			लगभग 3000 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित न होने के कारण	इस योजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार रू0 16.38 लाख की वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष में प्रदत्त की गयी है। आय–व्ययक में टोकन मनी होने के कारण/योजना में बचत होने के कारण पुर्नविनियोग के माध्यम से धनराशि की पूर्ति की जानी है।
02 –समाज कल्याण,				02 –समाज कल्याण,				
102–बाल कल्याण,				102–बाल कल्याण,				
01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना				01–केन्द्रीय अयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
0101– आई0सी0डी0एस0 योजना मं मडिसिन किट की आपूर्ति आदि विभिन्न योजनाओं का सचालन (100% के0स0)				0127–महिला सशक्तिकरण मिशन (100% के0स0)				
42– अन्य व्यय 14015	0	9897	4118	42–अन्य व्यय – 1637	1638	12378		
योग	0	9897	4118		1638	12378		

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग में बजट मैनुअल के परिच्छेद 150-156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

अपर सचिव

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

उत्तराखण्ड़ शासन

वित्त अनुभाग–3

संख्या 61 (NP) / ~~वि0अनु0–3~~ XXVII (3)2011-12 / 2010, देहरादून, दिनाकः 24-12 2010

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

(हस्ताक्षर) 24/12/11

(एल० डी० ...)

अपर सचिव, वित्त

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

महालेखाकार,

उत्तराखण्ड़ (लेखा एवं हकदारी)

ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून

संख्या 2612 /XVII(2)/2011, देहरादून दिनांक : 24 दिसम्बर 2011

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1– निदेशक आई0सी0डी0एस0,उत्तराखण्ड,उदय विहार,ब्राहमणवाला,आई.एस.बी.टी.रोड, . देहरादून।

2– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवांए,लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

3– मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड़।

4– वित्त अनुभाग–3 उत्तराखण्ड़ शासन।

5–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

अपर सचिव

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

उत्तराखण्ड़ शासन